न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 199/**15 (वाद)**

1. श्री उदयलाल पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी ओरडी बी, तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री पन्नालाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ओरडी बी, तह. मावली।
2. श्री नन्दलाल पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी ओरडी बी, तह. मावली।
3. श्रीमती शान्ता पुत्री पन्नालाल पत्नी लक्ष्मीलाल ब्राहम्ण निवासी बडवई तह. डुँगला जिला चित्तौडगढ।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 15.01.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओरडी बी पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 165 किता 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सानुसार अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित है। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न ह। मूलतः विवाह प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा के सम्बन्ध में ही है इसलिए सहखातेदारान को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं।
2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

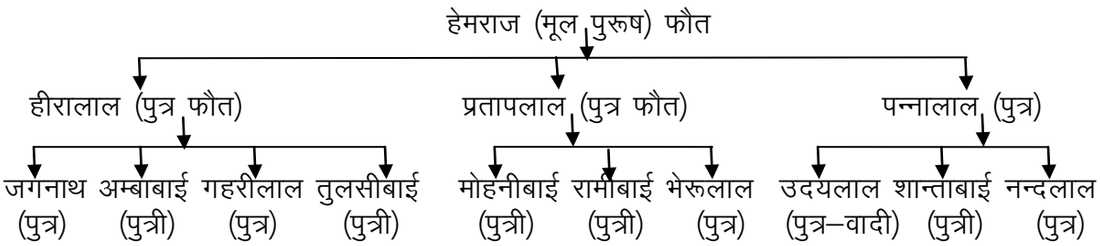

उक्त वर्णित सजरे अनुसार हेमराज जी हमारे मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र हीरालाल, प्रतापलाल व पन्नालाल हुए। हीरालाल, प्रतापलाल का स्वर्गवास हो चुका हैं। हीरालाल के वारिसान जगनाथ, अम्बाबाई, गहरीलाल व तुलसीबाई हैं। प्रतापलाल के वारिसान मोहनीबाई, रामीबाई व भेरूलाल हैं। पन्नालाल जीवित है जिनके वारिस मैं वादी उदयलाल, नन्दलाल एवं शान्ता (पुत्री) हैं।

3. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात जो पूर्व में मुझ वादी के दादा श्री हेमराज जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी तथा मेरे दादा श्री हेमराज जी के देहावसान के पश्चात् विरासत से उक्त कृषि भूमि उनके पुत्र हीरालाल, प्रतापलाल एवं पन्नालाल के नाम पर दर्ज हुई हैं। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 की पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ वादी को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने हिस्सानुसार भूमि पर मैं वादी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हुं।
4. यह कि वाद में वर्णित भूमि पर मुझ वादी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है, जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है एवं प्रतिवादी सं. 1 भूमाफियों के बहकावे में आकर अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाह रहे है जबकि प्रतिवादी सं. 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादी वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि में अपना नाम हिस्सेनुसार दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए यह वाद पत्र प्रस्तुत हैं।
5. यह कि मुझ वादी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद में वर्णित कृषि भूमि मेरी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के भूमाफियाओं के बहकावे में आकर अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और मुझ वादी को मेरी पैतृक कृषि भूमि में मेरे हक हिस्से से वंचित करने पर आमादा हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी सं. 1 मुझ वादी को मेरे

हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 27.05.2015 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर मुझ वादी को मेरे हक हिस्से की कृषि भूमि से वंचित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
7. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि में मुझ वादी को 1/4 हिस्सेनुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जावें। कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं. 1 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में मुझ वादी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो प्रतिवादी सं. 4 पंजीयन नहीं करे व प्रतिवादी सं. 5, 6 राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 4 से 6

राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

9. वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी, ग्राम पंचायत का प्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया।

10. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 पन्नालाल के नाम पर दर्ज है, वादी पन्नालाल का जायन्दा पुत्र हैं। वादग्रस्त भूमि पन्नालाल को विरासत से प्राप्त होना बताया हैं। भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से अधिकार निहीत है। भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 पन्नालाल के नाम पर वर्तमान में दर्ज हैं। वादी द्वारा प्रमाणित सजरा पेश किया जिसमें पन्नालाल जी के दो पुत्र व एक पुत्री होना स्पष्ट जाहिर आया हैं। सजरे अनुसार प्रतिवादी सं. 1 उदयलाल का हिस्सा पैतृक सम्पति में 1/4 बनता हैं। इसी अनुसार वादी का भी नोशनल शेयर के अनुसार 1/4 हिस्सा बनता हैं। भूमि पैतृक होने से प्रतिवादी सं. 1 अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं। यदि प्रतिवादी सं. 1 अपने हिस्से से अधिक भूमि को खुर्द बुर्द कर देता है तो वादी को अपने हक से महरूम होना पड सकता हैं। इसलिए वादी के हक अधिकारों की रक्षा के लिए नोशनल शेयर के आधार पर वादी के हिस्से की घोषणा कराया जाना आवश्यक हैं, परन्तु यदि अन्य वारिस के तथ्य सामने आते है तो वादी का हिस्सा वारिसों की गणना के आधार पर परिवर्तित किया जा सकेगा, जिसमें उक्त डिक्री विधिक वारिसों के हिस्सों के अधीन रहेगी। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा ओरडी बी पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में

वादी को प्रतिवादी सं. 1 पन्नालाल के हिस्सें में से 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। भविष्य में पन्नालाल जी के वाद में वर्णित पक्षकारान के अलावा कोई वारिस बढता है तो उक्त डिक्री उनके हिस्सों के अधीन रहेगी। प्रतिवादी सं. 1 वादी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री उदयलाल पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी ओरडी बी, तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री पन्नालाल पिता हेमराज ब्राहम्ण निवासी ओरडी बी, तह. मावली।
2. श्री नन्दलाल पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी ओरडी बी, तह. मावली।
3. श्रीमती शान्ता पुत्री पन्नालाल पत्नी लक्ष्मीलाल ब्राहम्ण निवासी बडवई तह. डुँगला जिला चित्तौडगढ।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 199/15 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा ओरडी बी पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 165 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी को प्रतिवादी सं. 1 पन्नालाल के हिस्सें में से 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। भविष्य में पन्नालाल जी के वाद में वर्णित पक्षकारान के अलावा कोई वारिस बढता है तो उक्त डिक्री उनके हिस्सों के अधीन रहेगी। प्रतिवादी सं. 1 वादी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.06 17:09:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: